

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर०एम०ए० वाद संख्या- 11/2015-16

झोपे किरकू वगै० -बनाम- दुलारी बेवा वगै०

अपीलार्थी :- (1) झोपे किरकू, पे०-स्व० मंगल किरकू,
 (2) लुदन किरकू, पे०-स्व० मरांग किरकू,
 (3) सोनत किरकू, पे०-स्व० मरांग किरकू,
 सभी सा०-फतेहपुर, थाना-कोटालपोखर,
 जिला-साहेबगंज।

उत्तरवादी :- दुलारी बेवा, पति-स्व० गांगू राय,
 सा०-फतेहपुर, थाना-कोटालपोखर,
 जिला-साहेबगंज।

-: आदेश :-

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी झोपे किरकू, पिता-स्व० मंगल किरकू एवं अन्य दो, सा०-फतेहपुर, थाना-कोटालपोखर, जिला-साहेबगंज द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर०ई० वाद सं० 36/2013-14 (दुलारी बेवा -बनाम- झोपे किरकू वगै०) में दिनांक 01.10.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत की गई एवं अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि से बरहरवा अंचल अन्तर्गत मौजा-फतेहपुर 101, जमाबंदी नं०-64, दाग नं०-485 रकवा 06 बीघा 13 कट्ठा 02 धूर भूमि गेंजर सर्वे खतियान में अनावादी खास पतीत कह कर दर्ज है। उक्त भूमि में से दो बीघा अपीलार्थी के पिता एवं चाचा के नाम से वर्ष 1965-66 में बन्दोवस्त वाद संख्या 88/1965-66 में दिनांक 20.11.1967 को पारित आदेश से की गई है। बन्दोवस्ती वाली भूमि से विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने उच्छेद कर दिये, जो न्यायोचित नहीं है।

आगे उन्होंने यह भी अपने तर्क में कहा कि उत्तरवादी के पति प्रश्नगत भूमि को गलत ढंग से अपने नाम से बन्दोवस्त करवा लिये। जबकि उक्त भूमि का खजाना मेरे द्वारा दिया जा रहा है। उत्तरवादी को राजस्व कर्मचारी द्वारा जो खजाना रसीद दिया जाता है वह गलत है। उसी खजाना रसीद को आधार मानकर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा अपीलार्थी को संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-42 के तहत प्रश्नगत भूमि मौजा-फतेहपुर थाना नं०-101, जमाबंदी नं०-64, दाग नं०-485 के अंश रकवा 02 बीघा जमीन से उच्छेदी आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं है। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी को सभी प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात निर्णय लेना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। उक्त आदेश

आदेश की
क्रमांक एवं
तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

अपारस्त करने योग्य है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का आगे यह भी कहना है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा बन्दोवस्त की गई। वर्तमान में भी उक्त भूमि का मालिक है एवं दखल कब्जा बरकरार है। वर्ष 1967 से ही कुल रकवा 06 बीघा भूमि अपीलार्थी के दखल कब्जा में है, जिसका लगान भी सरकार को देते आ रहे हैं। इस प्रकार विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद संख्या 36/2013-14 में पारित आदेश न्याय संगत नहीं है और ना ही कानून की दृष्टि से न्यायसंगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा दिनांक 01.10.2015 को पारित आदेश को अपारस्त करने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-फतेहपुर, थाना नं0-101, जमाबंदी नं0-64, दाग नं0-485 रकवा 02 बीघा जमीन उत्तरवादी के पति को बन्दोवस्ती में मिला है, जिसकी चौहद्दी उत्तर-डुगो किस्कू दक्षिण-छोटे किस्कू, पूरब-खास पतीत एवं पश्चिम-सड़क है। उक्त बन्दोवस्ती वाली भूमि को अपीलार्थीगण अवैध रूप से दखल किये हुए हैं। अवैध दखलकार मानते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद करने का आदेश पारित किये हैं, जो उचित है।

उत्तरवादी का आगे यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि को बन्दोवस्ती में प्राप्त करने के पश्चात सरकार को लगान का भुगतान किया जा रहा है। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा बन्दोवस्त पट्टा निर्गत किया गया है एवं प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बरहरवा ने जाँच कर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को समर्पित किया गया, जो उत्तरवादी को उक्त प्रश्नगत भूमि कर उत्तराधिकारी माना है एवं अपीलार्थी को अवैध दखल कब्जा बताया गया है। अंचल अधिकारी, बरहरवा से समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने अपीलार्थी के विरुद्ध उच्छेदी आदेश पारित किये जो सही है।

उन्होंने अपीलार्थी के आवेदन को खारीज करते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद सं0 36/2013-14 दिनांक 01.10.2015 को पारित आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं प्राप्त अभिलेख के अवलोकन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित भूमि बरहरवा अंचल अन्तर्गत मौजा-फतेहपुर, थाना नं0-101, जमाबंदी नं0-64, दाग नं0-485 रकवा 02 बीघा भूमि उत्तरवादी दुलारी बेवा, पति-स्व0 गांगू राय को बन्दोवस्ती के आधार पर प्राप्त हुआ है, जिसका लगान सरकार को देती आ रही है। उक्त भूमि का बन्दोवस्ती पट्टा भी उत्तरवादी के पास है।

प्रश्नगत भूमि खतियान में पुरातन पतीत कह कर दर्ज है, जो गांगू राय को बन्दोवस्त के आधार पर प्राप्त हुआ है।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों को मौजा-फतेहपुर, थाना नं0-101, जमाबंदी नं0-64, दाग नं0-485 रकवा 06 बीघा छोटे किस्कू को बन्दोवस्त वाद संख्या 88/1965-66 में पारित आदेश से प्राप्त हुआ था। बन्दोवस्तधारी छोटे किस्कू की मृत्यु नावलद हो गई। अपीलार्थीगण छोटे किस्कू का भतीजा है।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से प्राप्त आर0ई0 वाद संख्या 36/2013-14 के मूल अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, बरहरवा के प्रतिवेदन से

संख्या

आदेश की
नं.

श की
क एवं
तेथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

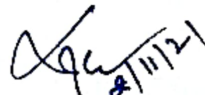
आदेश पर की
गई कार्यवाही

2

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि के उत्तराधिकारी गांगू राय की पत्नी दुलारी तूरीन है। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा अंचल अधिकारी, बरहरवा से प्रतिवेदन के आधार पर उच्छेदी आदेश पारित किये हैं, जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद सं0 36/2013-14 में दिनांक 01.10.2015 को पारित आदेश यथावत (Upheld) रखा जाता है। आदेश की प्रति विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा को भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त
साहेबगंज।


उपायुक्त
साहेबगंज।